

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :-53 / 15

पत्रावली पेश हुई। मूलदावा खारिज हो चुका है। इसलिए इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः यह पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है दिनांक 5.6.14 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिलदफ़तर हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)